



दिनांक	आज्ञा पत्र	
20-10-21	अपील दर्ज रजिस्टर हो। स्थगन पर वकील अपीलांत को सुना गया। प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये इस स्तर पर स्थगन दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। रेस्पोंडेंट के नोटिस जारी हो। तहत का रिकार्ड तलब हो। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 15-11-21 को पेश हों। <i>धारा-5 का (दुरिहित रचना 2014)</i>	
15.11.21	पत्रावली पेश हो। <i>कार्टे इंफॉर्म</i> लामिल दिनांक 2.12.21 को पेश हो।	भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
2.12.21	पत्रावली पेश, <i>ऑन कमी-कॉट 50</i> कार्टे इंफॉर्म लामिल दिनांक 17.2.22 को पेश हो।	
17.2.22	पत्रावली पेश। प्रकरण में रेस्पोंडेंट की तामील खेप है। इस हेतु अपीलांत शेष रेस्पोंडेंट के रजिस्टर्ड नोटिस आज ही पेश करें। जो पेश होने पर जारी हो। तब अपील का शीघ्रान्वेषी निरतारण किया जा सकें पत्रावली वास्ते तलबी रिकार्ड दिनांक 2.5.22 को पेश हों।	
12.03.2022	पत्रावली आज दिनांक 12.03.2022 को निम्न तलबी प्रा. पत्र स्वीकार होने पर राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। अधिवक्ता अपीलांत ने उपस्थित होकर कथन किया कि वे अब <i>राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से</i> जमाना की आगे नहीं चलाना चाहते हैं कि जिस आदेश के विरुद्ध अपील पेश की गई थी उसे अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 21.02.2022 को	Not Bred 12.3.2022

दिनांक	आज्ञा पत्र	
--------	------------	--

अपास्त कर दिया है। अतः अपील
 अपीलार्थ इसी स्तर पर खारिज की
 जाती है। पत्रावली चेंबरल शुमार होकर
 नंबर से कम हो तथा बाद तकमील
 काखिल दफ्तर हो।





सदस्य लोक अदालत बेंच
 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीकर

अध्यक्ष लोक अदालत बेंच
 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीकर



[Faint, illegible handwritten notes and signatures in the lower half of the page.]